

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2021

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	सिमरन कोटवाल कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम, जयपुर	Interview for post of Assistant Professor – Law College Education Department (Exam Name – Assistant Professor, Librarian & PTI College Education Exam – 2023.

शर्त:-

- उक्त पद पर चयन होने पर ये नियमानुसार कार्यमुक्त होकर जायेंगे।
- चयन उपरान्त नवीन पद पर पदभार ग्रहण करने की स्थिति में नियमानुसार ही ग्रहणाधिकार रखा जायेगा।
- परीक्षा तिथि के अतिरिक्त तैयारी हेतु किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संबंधित अधिकारी-यदि परीक्षा के अतिरिक्त कर्मचारी को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत किया जाता है तो वे अपने कार्य का प्रबन्ध स्वयं करेंगे।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित अधिकारी/संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव